"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 311] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 21 दिसम्बर 2012—अग्रहायण 30, शक 1934

आवास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 12 दिसम्बर 2012

अधिसूचना

क्रमांक एफ 7-9/2012/32.—छत्तीसगढ़ भूमि विकास नियम, 1984 में संशोधन का निम्नलिखित प्रारूप जिसे राज्य सरकार, छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्र. 23 सन् 1973) की धारा 24 की उप-धारा (3) सहपठित धारा 85 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए बनाना प्रस्तावित करती है, उक्त अधिनियम की धारा 85 की उप-धारा (1) द्वारा अपेक्षित किये गये अनुसार, उन समस्त व्यक्तियों जिनके कि इससे प्रभावित होने की संभावना है, की जानकारी के लिए एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है तथा एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त प्रारूप पर छत्तीसगढ़ राजपत्र में इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से तीस दिवस के अवसान के पश्चात् विचार किया जायेगा.

कोई आपत्ति या सुझाव जो उक्त प्रारूप के संबंध में किसी व्यक्ति से विनिर्दिष्ट कालावधि के पूर्व, प्रमुख सचिव, आवास एवं पर्यावरण विभाग, छत्तीसगढ़ शासन, कक्ष क्र. एम-5/16, महानदी भवन, मंत्रालय, कैपिटल काम्पलेक्स, नया रायपुर के कार्यालय में, कार्यालयीन समय में प्राप्त हो, पर छत्तीसगढ़ शासन द्वारा विचार किया जायेगा.

प्रारूप संशोधन

उक्त नियमों में,—

1. नियम 14 के उप नियम (1) के खण्ड (आठ) के परन्तुक के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात् :—

"परन्तु यह भी कि कोई भवन जो 30 मीटर से अधिक या दस मंजिल से अधिक (स्टिल्ट पार्किंग हेतु 2.4 मी. ऊंचाई को छोड़कर) ऊंचा हो, की दशा में, कोई भी अनुज्ञा, यथास्थिति, निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनी निम्नलिखित स्थल अनुमोदन समिति द्वारा दी गई अभिव्यक्त अनुमति पर ही प्रदान की जायेगी, अन्यथा नहीं, अर्थात् :—"

2. नियम 42-क के खण्ड (घ) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात् :—

"कोई भवन जो 30 मीटर से अधिक या दस मंजिल से अधिक (स्टिल्ट पार्किंग हेतु 2.4 मी. ऊंचाई को छोड़कर) ऊंचा हो, के लिये स्थल अनुमोदन समिति से नियम 14 के उप-नियम (1) के तृतीय परन्तुक के अधीन स्थल अनापत्ति आवश्यक होगी. समिति द्वारा स्थल अनापत्ति के पश्चात् प्राधिकारी से निवेश अनुज्ञा तथा भवन अनुज्ञा आवश्यक होगी."

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एलेक्स पॉल मेनन, उप-सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 12 दिसम्बर 2012

क्रमांक एफ 7-9/2012/32.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, छत्तीसगढ़ भूमि विकास नियम, 1984 में संशोधन संबंधी इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 12-12-2012 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एलेक्स पॉल मेनन, उप-सचिव.

Naya Raipur, the 12th December 2012

NOTIFICATION

No. F 7-9/2012/32.—The following draft of amendment in the Chhattisgarh Bhumi Vikas Niyam, 1984, which the State Government proposes to make in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 85 read with sub-section (3) of Section 24 of the Chhattisgarh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973 (No. 23 of 1973), is hereby, published as required by sub-section (1) of Section 85 of the said Adhiniyam, for the information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft shall be taken into consideration after the expiry of thirty days from the date of publication of this notice in the Official Gazette.

Any objection or suggestion regarding the said draft received from any person before the specified period, in office hours, by the office of the Principal Secretary, Department of Housing and Environment, Government of Chhattisgarh, Room No. M-5/16, Mahanadi Bhawan, Mantralaya, Capital Complex, Naya Raipur shall be considered by the Government of Chhattisgarh.

DRAFT AMENDMENT

In the Said rules,—

1. For proviso to clause (viii) of sub-rule (1) of rule 14, the following shall be substituted, namely :—

"Provided also that in the case of a building which is more than 30 meters or ten stories high (exclusive of stilt parking of 2.4 m height) no permission shall be given save with express clearance given by the following site clearance Committee, as the case may be, consisting of the following members, namely :-"

2. For clause (d) of rule 42-A, the following shall be substituted, namely :—

"For any building which is more than 30 meters or ten stories high (exclusive of stilt parking of 2.4 m height) site clearance from site clearance committee under third proviso to sub-rule (1) of rule 14 shall be necessary. After the site clearance by the committee, the planning permission and building permission from the Authority shall be necessary."

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh.
ALEX PAUL MENAN, Deputy Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2012.